मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या– 20 /2017 दिनांकः लखनऊ जुलाई 31, 2017

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया–कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अधीन दण्डनीय अपराधों के त्वरित विचारण हेतु विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। उक्त विशेष न्यायालय द्वारा त्वरित विचारण सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 में निम्न प्राविधान किये गये हैंः–

"किसी अन्य न्यायालय में (जो विशेष न्यायालय न हो) अभियुक्त के विरूद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण को पूर्वता दी जाएगी और उसे ऐसे अन्य मामले के विचारण के अधिमान में पहले समाप्त किया जाएगा और तद्नुसार ऐसे अन्य मामले का विचारण आस्थगित (In abeyance) रहेगा"

2– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धर्मेन्द्र कीरथल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य ए0आई0आर0 2013 एस0सी0 2569 में दिये गये निर्णय द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 की संवैधानिक विधि मान्यता बरकरार रखी गयी है ।

3– उपर्युक्त धारा 12 में वर्णित प्राविधानों से यह प्रकट है कि किसी अन्य न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध किसी अन्य मामले का विचारण आस्थगित रहेगा और गैंगेस्टर एक्ट के अधीन अपराध का विचारण पहले समाप्त किया जाएगा परन्तु इस आज्ञापक प्राविधान का अनुपालन नहीं हो रहा है जिससे उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया–कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अधीन अपराध के त्वरित विचारण के विधान का संकल्प कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है।

4– अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपर्यक्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(सुलखान सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का नियमित अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करेंः–

1–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,/पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।